सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 210 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :–04.10.2023

GCMS ID-2023 / 183

बउनवान

1. भैरूप्रकाश आयु 32 वर्ष आ. राधाकिशन जाति गुर्जर निवासी सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
2 मोतिया आयु 50 वर्ष पुत्री राधाकिशन पत्नी गोपाल जाति गुर्जर निवासी हाल निवासी रामचन्द्रजी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज

प्रार्थीगण

बनाम

1. दुर्गालाल आ. रामकिशन जाति गुर्जर निवासी बोरखण्डी
2. बाबूलाल आ. रामकिशन जाति गुर्जर निवासी बोरखण्डी।
3. मोतीलाल आ. रामकिशन जाति गुर्जर निवासी बोरखण्डी
4. घासी पुत्र माता कान्ही जाति गुर्जर निवासी बोरखण्डी
5. धनकंवर पुत्री रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासीबोरखण्डी
6. भूला बाई पत्नी रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी बोरखण्डी
7. महादेव पुत्र माता कान्ही जाति गुर्जर निवासी बोरखण्डी
8. राधेश्याम आ. रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी बोरखण्डी
9. रामदेव आ. शंकर जाति गुर्जर निवासी बोरखण्डी
10. शिवराज आ. रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी बोरखण्डी
11. हंसराज आ. रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी बोरखण्डी तहसील हिण्डोली
12. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन।
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :– 26 / 02 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि कृषि भूमि खात्त संख्या 174 ख.सं. 337 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, ख. सं. 338 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, ख.सं. 641 रकबा 0.6151 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.3273 हेक्टेयर व भूमि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खाता संख्या 117 ख.सं. 831 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, ख0सं. 893 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, ख.सं. 895 रकबा 0.1457 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6313 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 116 ख.सं. 441 रकबा 0.2671 हैक्टेयर वाके ग्राम बोरखण्डी पटवार मण्डल ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज में विस्थित है, जो प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है, भूमियो की जमाबंदी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के पिता रामकिशन जी थे, रामकिशन जी के चार पुत्र दुर्गालाल, बाबूलाल, भैरूप्रकाश व मोतीलाल व एक पुत्र मोतिया थी प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद जमाबंदीयो मे दर्ज किये गये वारिसान के नामो मे प्रार्थी भैरू प्रकाश के स्थान पर भैरूलाल व मोतिया के स्थान पर मोत्या बाई अशुद्ध दर्ज कर दिया गया है, राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बिना पुछताछ किये व प्रार्थीगण से दस्तावेज प्राप्त किये बिना जमाबंदीयो मे भैरू प्रकाश व मोतिया के बजाय भैरूलाल व मोतिया बाई अंकित किया गया है, जो इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। भैरूलाल के स्थान पर भैरू प्रकाश व मोत्या बाई के स्थान पर मोतिया दर्ज किया जाना चाहिये। प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेज मे यानि आधार कार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, पेनकार्ड, आदि में प्रार्थीगण का नाम भैरू प्रकाश व मोतिया ही दर्ज है, केवल प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो मे प्रार्थीगण का नाम भैरू प्रकाश व मोतिया गलत दर्ज कर दिया गया है, प्रार्थीगण के पहचान के सभी दस्तावेज भैरू प्रकाश व मोतिया के नाम से होने से व जमाबंदीयो मे भैरूलाल व मोत्या बाई दर्ज कर दिये जाने से प्रार्थीगण उक्त भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ नही उठा पा रहे है, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या में वर्णित जमाबंदीयो मे प्रार्थीगण का नाम भैरूलाल व मोत्या बाई गलत दर्ज किया हुआ है, उक्त इन्द्राज अशुद्ध है, जिसके इन्द्राज को दुरूस्त कर भैरूलाल के स्थान पर भैरू प्रकाश व मोत्या बाई के स्थान पर मोतिया दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। श्रीमान को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अवैध व गलत इंद्री को शुद्ध करने का लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर की हैसियत से अधिकार है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो में दर्ज भैरूलाल व मोत्या बाई के गलत इन्द्राज को विलोपित करवाकर/दुरूस्त करवाकर उक्त स्थान पर भैरू प्रकाश व मोतिया दर्ज करवावे। प्रार्थीगण ने दिनांक 02.09.2023 को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नाम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन उन्होने न्यायालय के आदेश के बिना गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

है, यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क मय तलबाने पर प्रस्तुत है। भूमिया ग्राम बोरखण्डी पटवार मण्डल ठीकरदा तहसील हिण्डोली मे विस्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 174 ख.सं. 337 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, ख.सं. 338 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, ख.सं. 641 रकबा 0.6151 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.3273 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 117 ख.सं. 831 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, ख.सं. 893 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, ख.सं. 895 रकबा 0.1457 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6313 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 116 ख.सं. 441 रकबा 0.2671 हैक्टेयर वाके ग्राम बोरखण्डी पटवार मण्डल ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. की जमाबंदीयो में दर्ज भैरूलाल व मोत्या बाई के इन्द्राज को विलोपित कर/दुरूस्त कर उक्त स्थान पर भैरू प्रकाश व मोतिया दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 लगायत 11 की ओर से जबाव पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर विवादित भूमि में दर्ज भैरूलाल व मोतिया बाई के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर भैरूप्रकाश व मोतिया दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :- राजस्व/25/2019 दिनांक :-19.12.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार ग्राम बोरखण्डी के खाता संख्या 174, 117, 116 में प्रार्थीगण सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा-ए-आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों अनुसार उक्त खाता नम्बरों में दर्ज भैरूलाल व भैरूप्रकाश एक ही व्यक्ति का नाम होने से व मोत्याबाई व मोतिया बाई एक ही महिला का नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज भैरूलाल के स्थान पर भैरूप्रकाश व मोत्याबाई के स्थान पर मोतिया बाई प्रार्थीगण के शुद्ध नाम दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का सही

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

नाम भैरूप्रकाश व मोतियाबाई है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं रिपोर्ट नायब तहसीलदार, दबलाना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र तालाबगांव, बैंक खाता डायरी पेश किए है जिसमें प्रार्थीगण के सही नाम भैरूप्रकाश व मोतिया बाई है। प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम बोरखण्डी प0मं0 ठीकरदा के खाता संख्या 174, 117, 116 में दर्ज प्रार्थीगण के नाम भैरूलाल पुत्र राधाकिशन के स्थान पर भैरूप्रकाश पुत्र राधाकिशन व मोत्या बाई पुत्री रामकिशन के स्थान पर मोतिया बाई पुत्री रामकिशन शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–26.02.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

26/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446